न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट शाहपुरा जिला जयपुर–ग्रामीण

पीठासीन अधिकारी :– श्री अशोक कुमार, आर ए एस

वाद पत्र संख्या :– 105 / 2022

उनवान

1.गिरधारी पुत्र मंगला, जाति गुर्जर, निवासी रघुनाथपुरा, तह० शाहपुरा, जिला जयपुर(राज)

– प्रार्थीगण

बनाम

1.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील–शाहपुरा, जिला जयपुर राजस्थान।

2. सुरेन्द्र कुमार पुत्र श्रवणलाल

3.सजना देवी पत्नी श्रवणलाल

4.नन्दाराम पुत्र चौथूराम

5. बन्नाराम पुत्र चौथूराम

6.बाबूलाल पुत्र चौथूराम

7. सोहन लाल पुत्र चौथूराम

जाति गुर्जर निवासी रघुनाथपुरा, तह० शाहपुरा, जिला जयपुर, राजस्थान।

8. अर्जुन पुत्र मंगला

अप्रार्थीगण

9. बंशी पुत्र मंगला

10. बाबूलाल पुत्र मंगला

11. रिछपाल पुत्र मंगला

जाति गुर्जर निवासी रघुनाथपुरा, तह० शाहपुरा, जिला जयपुर, राजस्थान।

12. झमकी पत्नी मंगला जाति गुर्जर, निवासी रघुनाथपुरा, तह०शाहपुरा, जिला जयपुर

तरतीबी अप्रार्थीगण

प्रा0पत्र बाबत पत्थरगढी अन्तर्गत धारा 128 एलआरएक्ट 1956

निर्णय दिनांकः 01/07/24

प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है। प्रार्थी के द्वारा जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र पेश किया गया है कि हाल आराजी ख0 न0 383 रकबा 0.2100 है0 भूमि वाकै ग्राम रघुनाथपुरा तह0 शाहपुरा जयपुर प्रार्थी की खातेदारी भूमि स्थित है जिस पर कब्जा कास्त करते चले आ रहे है। उक्त आराजी ख0 न0 383 रकबा 0.2100 है0 भूमि वाकै ग्राम रघुनाथपुरा तह0 शाहपुरा जयपुर का तहसीलदार शाहपुरा के आदेश क्रमांक / सीमाज्ञान / 2022 / 13 दिनांक 1.04.2022 की पालना में दिनांक 25.05.2022 को पडौसी खातेदारान व ग्राम के मौतबिरान

उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर–ग्रामीण)

की उपस्थिति में सीमाज्ञान किया गया है। प्रार्थी की भूमि को पडौसी काश्तकार भूमि को दबाते रहते है जिससे आये दिन विवाद चलता रहता है। प्रार्थीया उक्त सीमाज्ञान के आधार पर प्रार्थी अपनी भूमि का मुताबिक सीमाज्ञान के पत्थरगढी करवाना चाहता है।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पेश होने पर रिपोर्ट सरिस्ता ली जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस सूचित किया गया तथा प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया । दिनांक 10.06.2024 को अप्रार्थी सं0 02 लगायत 07 की तामिल जरिये रजिस्ट्रर्ड डाक से हो चुकी है जो बाद तामिल व सूचना के उपस्थित नही जिनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। शेष अप्रार्थीगण ने पत्थरगढी करवाने के संबंध में सहमति पत्र पेश किया। प्रकरण में तहसीलदार शाहपुरा को रिपोर्ट भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। तहसीलदार शाहपुरा के पत्रांक भूअ/2024/996 दिनांक 20.02.2024 द्वारा रिपोर्ट प्रेषित की गयी। तहसीलदार शाहपुरा ने रिपोर्ट में जाहिर किया कि ग्राम रघुनाथपुरा के आ0 ख0 न0 383/0.21 है0 का सीमाज्ञान दिनांक 25.05.2022 को किया गया तथा मौके पर कब्जा संबंधित विवाद है। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए पत्थरगढी किये जाने का निवेदन किया ।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। हमने वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो, जबाव सरकार, सहमति पत्र एवं फर्द मौका सीमाज्ञान दिनांक 25.05.2022 का अवलोकन किया गया। प्रार्थी के द्वारा अपनी भूमि की सुरक्षा एवं आस पास के खातेदारों द्वारा सीमाचिन्ह के अभाव में सींव डोल काटने से आये दिन होने वाले विवादों की वजह से पत्थरगढी करवाना चाहता है। पत्थरगढी करवाना एक खातेदार/काश्तकार का अधिकार है तथा इसके द्वारा अपनी सीमा के विवाद, सीमा दबाना आदि अनावश्यक मुकदमेबाजी से बचाव का यह एक उपाय है जिसके अभाव में काश्तकार अपनी सीमा चिन्ह से सुरक्षा आदि उपाय नहीं कर सकते है।

आदेश

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी का स्वीकार किया जाकर तहसीलदार शाहपुरा को आदेशित किया जाता है कि हाल आराजी ख0 न0 383 रकबा 0.2100 है0 भूमि वाकै ग्राम रघुनाथपुरा तह0 शाहपुरा जयपुर प्रार्थी की खातेदारी भूमि का पडौसी खातेदारान को सुचित करते हुए एवं भूमि पर कब्जे से संबंधित विवाद होने पर कब्जा सुपुर्द नही करते हुए उनकी उपस्थिति में मुताबिक सीमाज्ञान दिनांक 25.05.2022 के अनुसार नियमानुसार पत्थरगढी करवावे। तदानुसार तहसीलदार शाहपुरा को आदेश जारी हो

निर्णय आज दिनांक 01/07/24 को सरै इजलास सुनाया गया ।

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर-ग्रामीण)
शाहपुरा जिला जयपुर